भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3789

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- ई-नाम योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

3789. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म, धर्मकांटा और गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की स्थापना जैसी अवसंरचना के विकास के लिए इलेक्ट्रोनिक-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए ई-नाम सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) महाराष्ट्र के कृषि बाजारों में, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बाजार संपर्क, मूल्य निर्धारण और पारदर्शिता में सुधार करने में ई-नाम योजना का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) निकट भविष्य में ई-नाम योजना के दायरे में, विशेषकर महाराष्ट्र में, और अधिक वस्तुओं को शामिल करने की क्या योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क)**:** राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना के अंतर्गत, प्रत्येक पात्र कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडी को ई-नाम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और उन्नयन के लिए 30 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक वेइंगब्रिज, परीक्षण (गुणवत्ता परीक्षण) उपकरण और अन्य संबंधित सुविधाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, एसएलएससी द्वारा निर्धारित "ए" और "बी" श्रेणी की मंडियों के लिए क्रमशः 40 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग तथा संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और खाद इकाई के लिए प्रदान किया जाता है।

महाराष्ट्र में अब तक 181 एपीएमसी मंडियों को ई-नाम से एकीकृत किया जा चुका है, जिसके लिए 50.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) एवं (ग): राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंडियों को ई-नाम पोर्टल से एकीकृत किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित राज्य के किसानों द्वारा ई-नाम के उपयोग को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें किसानों, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और मंडी अधिकारियों के लिए ई-नाम परिचालन पर क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, ग्राम सभाओं, कार्यशालाओं, सेमिनारों और मासिक पत्रिकाओं आदि के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना सम्मिलित हैं।

महाराष्ट्र राज्य में, 13,02,006 किसान और 23,844 व्यापारियों को ई-नाम पर सम्मिलित किया गया है। इसके आरंभ से अब तक, ई-नाम पोर्टल के माध्यम से 23,156.38 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न कृषि उत्पादों का 62.28 लाख मीट्रिक टन का व्यापार हो चुका है। राज्य में 34,700 मीट्रिक टन का अंतर-मंडी व्यापार और 15,100 मीट्रिक टन का अंतर-राज्यीय व्यापार भी दर्ज किया गया है। 541.98 करोड़ रुपये के ई-भुगतान की सूचना मिली है। ये तीनों संकेतक छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों के लिए बेहतर बाजार संपर्क और पारदर्शी मूल्य निर्धारण को दर्शाते हैं।

नीति आयोग ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में ई-नाम योजना सहित विभिन्न केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन किया। इस मूल्यांकन में पारदर्शी बाजारों को बढ़ावा देने, कुशल मूल्य निर्धारण, बेहतर संविदा वार्ता और संस्थागत वित्त तक बेहतर पहुंच में ई-नाम की क्षमता को उजागर किया गया।

(घ): ई-नाम प्लेटफॉर्म संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रासंगिक एपीएमसी अधिनियमों और नियमों के तहत अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार को सुगम बनाता है। अतिरिक्त उपजों को संबंधित राज्य सरकार/एपीएमसी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सम्मिलित किया जाता है, जो कि परीक्षण प्रोटोकॉल की उपलब्धता, बाजार की तैयारी और योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालना के अध्यधीन है। अब तक, महाराष्ट्र सहित देश भर में ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से 247 उत्पादों के व्यापार योग्य मापदंड ऑनलाइन व्यापार के लिए उपलब्ध हैं।
